

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या -01, सैकटर - केंद्रीय 4, ग्रेटर नौएडा सिटी
जनपद - गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- ग्रेनौ0/का0आ0/2019-20/SMT)/B78
दिनांक :- 03/01/2020

कार्यालय आदेश

कार्यहित में कार्यालय आदेश पत्रांक-ग्रेनौ0/कार्मिक/का0आ0/2019/101583 दिनांक 31.12.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेशित किया जाता है कि श्री राम आसरे गौतम के स्थान पर श्री एन0कें0 जैन वर्क सर्किल-3 के प्रभारी प्रबन्धक के रूप में कार्य देखेंगे। साथ ही साथ ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अभियन्त्रण विभाग द्वारा देखे जा रहे परियोजना, अर्बन सर्विस/विद्युत-यांत्रिकी (ई0एण्डएम0) के अन्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण तथा प्रभावी निर्माण/विकास/अनुरक्षण कार्यों के सम्पादन हेतु वर्क सर्किलों में निम्नानुसार प्रबन्धक/प्रभारी प्रबन्धक/प्रबन्धक-11/सहायक प्रबन्धक की तैनाती की जाती है:-

क्र0 सं0	वर्क सर्किल	प्रबन्धक/प्रभारी प्रबन्धक का नाम	प्रबन्धक-11/सहायक प्रबन्धक का नाम
1.	वर्क सर्किल-1	श्री ब्रह्म सिंह	श्री अमित कुमार
2.	वर्क सर्किल-2	श्री मनोज कुमार धारीवाल	श्री वैभव नागर, श्री अमित कुमार
3.	वर्क सर्किल-3	श्री यशपाल सिंह	श्री यशपाल सिंह
4.	वर्क सर्किल-4	श्री जितेन्द्र यादव	श्री जितेन्द्र यादव
5.	वर्क सर्किल-5	श्री मनोज कुमार धारीवाल	श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री पी0पी0 मिश्रा
6.	वर्क सर्किल-6	श्री राजीव कुमार	श्री पी0पी0 मिश्रा
7.	वर्क सर्किल-7	श्री करन सिंह त्यागी	श्री प्रभात शंकर, श्री उमेश त्यागी
8.	वर्क सर्किल-8	श्री बी0पी0 सिंह	श्री ए0ए0 जैदी
9.	वर्क सर्किल-जल	श्री कामता प्रसाद, श्री मनोज कुमार धारीवाल, श्री ब्रह्म सिंह	श्री पंकज तिवारी, श्री सुभाष कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार
10.	वर्क सर्किल-सीवर	श्री जितेन्द्र यादव	श्री प्रभात शंकर, श्री पी0पी0 मिश्रा
11.	वर्क सर्किल- तकनीकी (सिविल)	श्री ब्रह्म सिंह	श्री पी0पी0 मिश्रा
12.	वर्क सर्किल- तकनीकी (अर्बन सर्विस)	श्री करन सिंह त्यागी	श्री करन सिंह त्यागी, श्री जी0सी0 कसाना
13.	वर्क सर्किल- तकनीकी (उद्यान)	श्री कामता प्रसाद	श्री पी0आर0 वर्मा
14.	वर्क सर्किल - ई0 एण्ड एम-1	श्री मनोज कुमार	श्री प्रदीप कुमार, श्री मुज्जफर अली, श्री जी0सी0 कसाना
15.	वर्क सर्किल - ई0 एण्ड एम-2	श्री रविन्द्र कुमार	श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री अमरजीत सिंह, श्री सुभाष कुमार

२२५/८८-८८
०६/०१/२०२०

२२५/८८/Am

(R)

16.	वर्क सर्किल – तकनीकी (विद्युत)	श्री मनोज कुमार	श्री प्रदीप कुमार
17.	वर्क सर्किल – अर्बन सर्विस	श्री करन सिंह त्यागी	श्री प्रभात शंकर

नोट:-

1. श्री समाकान्त श्रीवास्तव द्वारा महाप्रबन्धक–परियोजना (I), श्री पी०के० कौशिक द्वारा महाप्रबन्धक–परियोजना (II) के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा एक–दूसरे के लिंक ऑफिसर रहेंगे।
2. वर्क सर्किल के कार्यक्षेत्र में ग्राम शाहबेंरी के अन्तर्गत पूर्व में करायी गयी एफ०आई०आर०/पैरवी इत्यादि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही श्री पी०पी० भिश्वा, सहायक प्रबन्धक द्वारा की जायेगी तथा भविष्य में कराये जाने वाली एफ०आई०आर०/पैरवी इत्यादि की समस्त कार्यवाही श्री अमित कुमार, सहायक प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।
3. दिशा सूचक बोर्डों के कार्यो हेतु श्री कपिल देव सिंह, नोडल अधिकारी होंगे।
4. सड़कों के पैच/गड़दों की मरम्मत कार्य हेतु श्री अनिल कुमार जौहरी (वर्क सर्किल–1 से 3 तक) के लिए तथा श्री कपिल देव सिंह (वर्क सर्किल–4 से 8 तक) नोडल अधिकारी होंगे।

यह आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के पत्रावली FTS-110388 पर अनुमोदन के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(कृष्ण कुमार गुप्त)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस०एस० / एस० के०) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. महाप्रबन्धक–परियोजना (I / II) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. उप महाप्रबन्धक–परियोजना (एस०सी०) को सूचनार्थ।
7. उप महाप्रबन्धक (वित्त/कृषक आवादी) को सूचनार्थ।
8. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ प्रेषित।
9. सम्बन्धित प्रबन्धक/प्रो प्रबन्धक/प्रबन्धक–।।/सहायक प्रबन्धक (परियोजना) को अनुपालनार्थ।
10. गार्ड फाईल।

03.01.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्यांड संख्या-01, नालेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक संख्या - ग्र०नो०/अ०मु०का०अ०(जी०)/२०१९-२०/३८१८/८७७

दिनांक - ०३/०१/२०२०

कार्यालय - आदेश

कार्यहित में प्राधिकरण के अभियंत्रण विभाग द्वारा देखे जा रहे परियोजना व अर्बन सर्विसेज के कार्यों के सम्पादन करने के तरीके की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्व से गठित वर्क सर्किलों का क्षेत्र एक साथ संगठित न होकर कार्यक्षेत्र अलग-अलग विघटित रूप में फैला हुआ है। जिससे विकास/अनुरक्षण कार्य सम्पादित कराने में परेशानी होती है एवं अनावश्यक विलम्ब होता है। इससे सम्बन्धित स्टाफ की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। अतः ग्रेटर नौएडा में इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ तथा सुगम बनाने हेतु वर्क सर्किलों के कार्यक्षेत्र को पुर्णगठित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

सिविल निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य:-

1. सिविल वर्क सर्किलों द्वारा उन्हें आवंटित सेक्टरों व ग्रामों के समस्त छोटे-बड़े प्रोजेक्ट व अनुरक्षण कार्य यथा बिल्डिंग, सड़क, नाले-नाली, फुटपाथ, दिशा सूचक बोर्ड के निर्माण व अनुरक्षण तथा हर प्रकार के प्राधिकरण द्वारा सृजित भवनों यथा आवासीय, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कार्यालय भवन, अतिक्रमण हटवाने, अवैध विज्ञापन हटवाने इत्यादि कार्य कराये जायेंगे।
2. इन्स्टीट्यूशनल एवं समस्त प्रकार के दिशा सूचक बोर्डों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से इस हेतु अलग से पॉलिसी तैयार की जा रही है जिसके अन्तर्गत समस्त वर्क सर्किलों द्वारा इस कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी को डिमांड उपलब्ध करायी जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा समस्त डिमांड के अनुसार दिशा सूचक बोर्ड तैयार कराकर सम्बन्धित वर्क सर्किलों को उपलब्ध कराये जायेंगे, जो सम्बन्धित वर्क सर्किल द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित कराये जायेंगे। पुराने दिशा सूचक बोर्डों का अनुरक्षण कार्य सम्बन्धित वर्क सर्किल द्वारा ही कराया जायेगा।
3. सड़क पैच/गड़दों की मरम्मत कार्य हेतु समस्त वर्क सर्किलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की डिमांड इस हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा तीन वर्ष हेतु निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी चयनित की जायेगी जिससे सम्बन्धित वर्क सर्किलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा।

जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था:-

1. जलापूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी।

विद्युत/यांत्रिकी, जन स्वास्थ्य, उद्यान एवं अर्बन सर्विसेज़:-

1. वर्क सर्किल-विद्युत/यांत्रिकी (ई०एण्डएम०-१ एवं २) के अन्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था, आवासीय व अनावासीय भवनों, पार्क इत्यादि में विद्युतीकरण के कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
2. वर्क सर्किल, ई०एण्डएम०-१ के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के वर्क सर्किल-१ से ३ का क्षेत्र तथा वर्क सर्किल, ई०एण्डएम०-२ के अन्तर्गत वर्क सर्किल-४ से ८ का क्षेत्र एवं गंगाजल परियोजना के विद्युत/यांत्रिकी कार्य देखा जायेगा। विद्युत पोलों से अवैध विज्ञापन हटाने का कार्य वर्क सर्किल विद्युत द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में देखा जायेगा।
3. जन-स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य हेतु पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी।
4. उद्यान विभाग के कार्य हेतु (विद्युत कार्यों को छोड़कर) पहले से चली आ रही व्यवस्था ही लागू रहेगी।

M(G) / MGR / Aan
M

5. वर्क सर्किल—अर्बन सर्विस द्वारा ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, आर0डब्लू0ए0, विज्ञापन आवंटन सम्बन्धी कार्य, एन0एम0आर0सी0 का कार्य देखा जायेगा तथा प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक—अर्बन सर्विस अतिक्रमण दस्ते के प्रभारी होंगे।

अतिक्रमण:-

6. (क) अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर होने वाले किसी भी प्रकार के अतिक्रमण/अवैध निर्माण को रोकने व हटाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित वर्क सर्किल का होगा।
 (ख) अनार्जित भूमि पर कोई भी अवैध निर्माण को नियमानुसार हटाने व ध्वस्तीकरण का कार्य सम्बन्धित वर्क सर्किल द्वारा किया जायेगा।
7. महाप्रबन्धक—परियोजना (I) / महाप्रबन्धक—परियोजना (II) के मध्य कार्य वितरण:-
- (i) वर्क वर्किल-1, 2 एवं 3, वर्क सर्किल—जल, वर्क सर्किल—सीवर, वर्क सर्किल ई0एण्डएम0-1 एवं उद्यान के कार्यों हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक, महाप्रबन्धक—परियोजना (I) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
 - (ii) वर्क सर्किल-4, 5, 6, 7 एवं 8, वर्क सर्किल ई0एण्डएम0-2 के वरिष्ठ प्रबन्धक/ प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक, महाप्रबन्धक—परियोजना (II) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
 - (iii) वर्क सर्किल—अर्बन सर्विसेज एवं जन स्वास्थ्य विभाग के कार्य कार्यालय आदेश पत्रांक—ग्रेनौ0/कार्मिक/एम-324/2019/155 दिनांक 01.11.2019 तथा पत्रांक—ग्रेनौ0/कार्मिक/एम-324/2019/92099 दिनांक 29 नवम्बर, 2019 में पारित आदेशों के अनुसार ही देखे जायेंगे।
8. तकनीकी प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्य पूर्व के आदेशों की भाँति यथावत् देखे जायेंगे।
9. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सावित्री बाई फूले इन्टर कॉलेज को हस्तगत कराने के कार्य की पत्रावलियों वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-7 एवं वर्क सर्किल ई0एण्डएम0-1 द्वारा महाप्रबन्धक (I) के माध्यम से प्रस्तुत की जायेंगी।
10. बी0एच0एस0-17 के अन्तर्गत निर्मित मल्टी स्टोरी भवनों के निर्माण कार्य पूर्व में देखे जा रहे वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा ही एक माह तक यथावत् देखे जायेंगे। बी0एच0एस0-17 के अन्तर्गत सेक्टर ऑफीक्रॉन-1ए के भवनों में विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु वरिष्ठ प्रबन्धक ई0एण्डएम0-1, महाप्रबन्धक—परियोजना (I) को रिपोर्ट करेंगे। एक माह में ये सभी कार्य पूर्ण कराकर / क्लोज करके सम्बन्धित क्षेत्र के वर्क सर्किल प्रभारी को यह कार्य स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।
11. गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित विद्युत एवं यांत्रिकी कार्य महाप्रबन्धक—परियोजना (I) एवं महाप्रबन्धक—परियोजना (II) द्वारा संयुक्त रूप से देखे जायेंगे।
12. आई0आई0टी0जी0एन0एल0 का कार्य पूर्व व्यवस्था के अनुरूप यथावत् देखा जायेगा।
13. समस्त वर्क सर्किल प्रभारियों द्वारा अपने—अपने क्षेत्र से सम्बन्धित लीज बैंक, विधि विभाग से जुड़े प्रकरण, जनसुनवाई, आर0टी0आई0, ऑनलाईन प्रकरण (आई0जी0आर0एस0, मित्रा ऐप, ग्रीवेन्स रिझेशल सिस्टम, ई—मेल आदि) देखे जायेंगे।
14. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत जेवर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों के सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।

अतः कार्यहित में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश पत्रांक—ग्रेनौ0/कार्मिक/का0आ0/2019/101583 दिनांक 31.12.2019 के क्रम में सिविल, जल एवं सीवरेज व्यवस्था तथा विद्युत/यांत्रिक (ई0एण्डएम0) कार्यों के परियोजना व संचालन/अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु वर्क सर्किलवार कार्य वितरण के निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	वर्क सर्किल का नाम	सेक्टर/ग्राम/सड़कों का विवरण
01	वर्क सर्किल-1	सेक्टर-4, 16, 16बी व 16सी, इकोटेक-12 व 13, टेकजोन -7 व 14

		<p><u>ग्राम:-</u> चिपियाना खुर्द, शाहबेरी, चिपियाना बुजुर्ग, युसुफपुर, हैबतपुर, छपरौला, रोजा याकूबपुर, रोजा जलालपुर, अच्छेजा एवं मिल्क लच्छी।</p> <p><u>सड़कों का कार्य:-</u> 130 मी० रोड से जी०टी० रोड तक, सेक्टर टेकजोन-7, 14 एवं सेक्टर-10, इकोटेक-15 के मध्य सड़क का कार्य।</p>
02	वर्क सर्किल-2	<p><u>इकोटेक-15, 16, 17, 18, 19, 20 व 21 सेक्टर -10, 11, 12, 15, 17, 18 व 20</u></p> <p><u>ग्राम:-</u> सादुल्लापुर, वैदपुरा, सादोंपुर, धूम मानिकपुर, जौन समाना, भोला रावल, सैनी, सुनपुरा, भनौता, खेडी, आमका, रूपवास, किरछपुर, खोदना कला व तिलपता करनवास</p> <p><u>सड़कों का कार्य:-</u> सेक्टर-10, 11 व इकोटेक-15 एवं सेक्टर-12, इकोटेक-16 के मध्य सड़क का निर्माण कार्य।</p>
03	वर्क सर्किल-3	<p><u>टेकजोन-4, सेक्टर-1, 2 व 3, के०पी०-5, इकोटेक-3यूके व 3, इन्स्टीट्यूशनल ग्रीन व रीजनल ग्रीन, गौतमबुद्ध बालक इण्टर कॉलेज, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल एवं अन्य प्रकार की केबल डालने की अनुमति प्रदान करने का कार्य।</u></p> <p><u>ग्राम:-</u> इटैडा, पतवाडी, बिसरख जलालपुर, खैरपुर गुर्जर, एमनाबाद, जलपुरा, खेडा चौगानपुर, तुस्याना, कुलेसरा, हल्दौनी, खोदना खुर्द, देवला व हबीबपुर, सूरजपुर, गुलिस्तानपुर</p> <p><u>सड़कों का कार्य:-</u> कुलेसरा से दादरी तक डी०एस०सी० रोड का समर्त कार्य।</p>
04	वर्क सर्किल-4	<p><u>के०पी० 1, 2 व 3, आई०टी० पार्क, ओमेगा-1 व 2, चाई० 3, 4 व 5, फाई०-3 व 4 पाकेट- पी 1 से पी 8, इकोटेक-2 एस टी माइको साइड (बी०जेड०पी०), इन्स्टीट्यूशनल ग्रीन</u></p> <p><u>ग्राम:-</u> सुत्याना, लखनावली, मलकपुर, बेगमपुर, मुबारकपुर, गुर्जरपुर, रोहिल्लापुर, तुगलपुर, हल्दौना, नामोली, चूहडपुर खादर</p> <p><u>सड़कों का कार्य:-</u> बिल्डर्स एरिया एवं फाई०-3, चाई०-3 के मध्य 60मी० चौड़ी सड़क का कार्य। सूरजपुर एन्ट्री प्वाईन्ट से कासना कोटस्केप तक 80मी० चौड़ी एस०के० रोड का कार्य। 105मी० चौड़ी सड़क का कार्य। नौएडा-ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे का कार्य। यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाईट से ग्रेटर नौएडा सीमा तक 04 लेन सड़क का कार्य।</p>
05	वर्क सर्किल-5	<p><u>ईकोटेक-2 एल०जी० साइड, गामा-1 व 2, सेक्टर-20 (स्टेडियम) बीटा-1 व 2, अल्फा-1 व 2, डेल्टा- 1, 2 व 3, इटा-1, जीटा-1, के०पी०-4, पाई०-1 व 2, स्वर्ण नगरी, इकोटेक-1, रो-1 व 2 (सेक्टर-36 व 37), सिग्मा-1, 2, 3, व 4, गंगाजल परियोजना का कार्य (सिविल कार्य)</u></p> <p><u>ग्राम:-</u> रामपुर जागीर, साकीपुर, रसूलपुर, ब्रह्मपुर गजरौला, बिरौण्डी चक्रसेनपुर,</p> <p><u>सड़कों का कार्य:-</u> पी०-3 गोल चक्कर से ऐच्छर गोल चक्कर तक 60 मी० चौड़ी सड़क का कार्य। नवादा रोटरी से सिग्मा-1, 3, नटों की मढ़ैया रोटरी तक एवं सेक्टर-36/37/सिग्मा-1/ 2 रोटरी से सिग्मा-3/4/ इकोटेक एक्सटेंशन रोटरी तक 60मी० चौड़ी सड़क एवं गेल रोटरी से विप्रो रोटरी (Along Pi-1, Pi-2) तक 45मी० चौड़ी सड़क का कार्य। कासना से 130 मी० सड़क तक सिग्मा-3 एवं इकोटेक-1 एक्स० के मध्य सड़क का कार्य।</p>
06	वर्क सर्किल-6	<p><u>इटा-2, जीटा-2, आयोटा-1, कप्पा-1, लेम्डा, थीटा-2, इकोटेक-22 व 23, ओमीकॉन-1ए, 1, 2 व 3, ज्यू-1, 2 व 3, म्यू-म्यू-1 व 2, टेकजोन-3</u></p> <p><u>ग्राम:-</u> मकौड़ा, थापखेड़ा, चमरावली- बोडाकी, जैतपुर- वैशपुर, जुनपत, हजरतपुर,</p>

		<p>घोड़ी— बछेड़ा, मथुरापुर, पाली, पल्ला, रायपुर बांगर, अजायबपुर सड़कों का कार्य:- 130 मी० चौड़ी सड़क से अजायबपुर तक, ओमीक्रॉन-1 एवं 1ए, ज्यू-1, 2 तथा क्रियेशनल ग्रीन के मध्य सड़क का कार्य।</p>
07	वर्क सर्किल-7	<p>इकोटेक-1 एक्स्टेंशन, इकोटेक-1 एक्स्टेंशन- 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11ए, टेकजोन-2, टेकजोन (आई०टी० सिटी), यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी / कॉलेज, सावित्री बाई फूले इन्टर कॉलेज ग्राम:- रिठोरी, डाबरा सड़कों का कार्य:- 130मी० चौड़ी सड़क का समस्त कार्य। कासना कोटस्केप से पेरिफेरल रोड तक सड़क का समस्त कार्य। कासना—घरबरा मुख्य मार्ग।</p>
08	वर्क सर्किल-8	<p>विधान सभा जेवर के समस्त ग्रामों से सम्बन्धित विकास/ अनुरक्षण कार्य (विद्युत के अतिरिक्त), ग्रामों से सम्बन्धित 6 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के समस्त कार्य एवं पूर्व के आदेशों द्वारा प्रदत्त कार्य। सड़कों का कार्य:- अस्तौली से सिकन्द्राबाद—दनकौर मार्ग तक 24मी० चौड़ी सड़क का कार्य।</p>
09	वर्क सर्किल—जल	<p>वर्क सर्किल—जल के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के सेक्टरों व ग्रामों की जलापूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य, जल राजस्व सम्बन्धी कार्य, जल सम्बन्धी मास्टर प्लान तैयार कराना।</p>
10	वर्क सर्किल—सीवर	<p>वर्क सर्किल—सीवर के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के सेक्टरों व ग्रामों की सीवर व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य, एस०पी०एस० व एस०टी०पी० का निर्माण, संचालन व रखरखाव तथा एस०टी०पी० शोधित जल का सिंचाई, निर्माण कार्य व थर्मल पावर प्लान्ट के कूलिंग टावर में प्रयोग पर कार्य करना, सीवर सम्बन्धी मास्टर प्लान तैयार कराना तथा सीवर सम्बन्धी सभी कार्य।</p>

यह आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के पत्रावली FTS-110388 पर अनुमोदन के क्रम में
 जारी किये जा रहे हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(कृष्ण कुमार गुप्त)
 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ-

1. स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०)।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस०एस०/एस०के०)।
4. महाप्रबन्धक (वित्त)।
5. महाप्रबन्धक—परियोजना (I/II)।
6. उप महाप्रबन्धक—परियोजना।
7. उप महाप्रबन्धक (कार्मिक/वित्त/नियोजन/कृषक आबादी)।
8. समस्त वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक—परियोजना।
9. प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक— तकनीकी (परियोजना/अर्बन सर्विसेज/स्वास्थ्य/उद्यान/विद्युत)।
10. गार्ड फाईल।

 03.01.2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी